झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001
प्रेस विज्ञप्ति
संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा–2016, विज्ञापन सं0–23/2016
के संबंध में आवश्यक सूचना।

संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा–2016 **(विज्ञापन सं0–23/2016)** राँची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक–**29.01.2018 से दिनांक–07.02.2018** तक निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है:–

क्र0 सं0	दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)
1.	**29.01.2018** (सोमवार)	प्रथम पत्र (I)	द्वितीय पत्र (II)
2	**01.02.2018** (गुरूवार)	तृतीय पत्र (III)	–
3	**03.02.2018** (शनिवार)	चतुर्थ पत्र (IV)	–
4	**05.02.2018** (सोमवार)	पंचम पत्र (V)	–
5	**07.02.2018** (बुधवार)	षष्ठम पत्र (VI)	–

संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं:–

1.. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।

2. आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर प्रवेश–पत्र एवं सभी पत्रों के उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा मे शामिल होने की व्यवस्था की गई है।

3. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपनी जन्म–तिथि एवं प्रारंभिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नम्बर डालकर दिनांक–**15.01.2018** से प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश–पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति मे आयोग के हेल्पलाईन नं0–0651/2213009 पर कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक–**23.01.2018 से दिनांक–25.01.2018** तक कार्यदिवस में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म–तिथि एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आवेदन देकर प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गए प्रवेश–पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जाँच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक–**23.01.2018 से दिनांक–25.01.2018** तक लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुघार करा लें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग कोटि के इच्छुक अभ्यर्थी (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) श्रुतलेखक (Scribe) हेतु (जिन्हें यह सुविधा देय है) वे दिनांक–**23.01.2018 से दिनांक–25.01.2018** तक प्रवेश पत्र में निर्घारित केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को अपने प्रवेश पत्र, वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा–निर्देशित व्यवस्था की जानी है। श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता (स्नातक या समकक्ष) से कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) की व्यवस्था स्वयं करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई व्यय का वहन नहीं किया जाएगा।

6. सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गये प्रवेश–पत्र, संबंधित सभी पत्र का उपस्थिति–पत्रक अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ अन्यथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा।

7. अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार अपने साथ **02 Stamp Size** फोटाग्राफ एवं वैध पहचान–पत्र परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ।

8. **अभ्यर्थी ओ0एम0आर0(OMR) आधारित उत्तर–पुस्तिका** के मुखपृष्ठ पर आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्टि करने के पूर्व प्रवेश–पत्र, उपस्थिति–पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढकर ही प्रविष्टि अंकित करें। उत्तर–पुस्तिका में वर्णित निदेशानुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic उपकरण (Gadget) रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन सहित प्रतिबंधित वस्तुएँ यथाः बैग, पाठ्य पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ में नहीं लाए। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

10.. अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएँ। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात् आनेवाले अभ्यर्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

11. अभ्यर्थियों को सभी पत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

12. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।